


माइन्दा पत्रावली कैम्प कोर्ट/ लोक अदालत
दिनांक ५-६-१७ को पेश हो।


एस डी ओ/रीडर

५/६/१७

पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश हुई। (बाकी का बाद
डिप्टी मिस्ट्री जाया है। निर्णय सुनान में नार्मल प्रक्रिया
किए जा रहा। पत्रावली कैम्प सुनार डेप्युटी गवर्नर से
काम हो तथा बाद तत्कालीन नोक्साना ठीक हो।

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
 (न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम)
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प, हनुमान

पीठासीन अधिकारी श्री विवेका लिख शीना R.A.S

उनवान दरभरम

बनाम मुल-चण्ड

दावा बाबत:- 138 R.T. Act.

मुकदमा नम्बर:- 2/18

निर्णय दिनांक:- 4.6.18

वादी की ओर से श्री विवेका लिख शीना की व प्रतिवादी की ओर से मुल-चण्ड को उपस्थिति में आज तारीख 4.6.18 को दरभरम (नाम पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है ओर डिग्री दी जाती कि - विवादाधीन सारांश नं. 207/1-05 वादी के द्वारा दरभरम के पास दरभरम का तहसील कोटकासिम में वादी का वाद लिखी गयी जाता है प्रतिवादी को उपरोक्त मुकदमे द्वारा दावा किया जाता है कि विवादाधीन सारांश है वादी को जबरन वेदखत ना करे, ना पूड़ी डाले, ना दी गलब करे ना वादी के काका का में भगा व अदा खत करे

खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करेंगे ।
 यह आज तारीख 4.6.18 को मौ हस्ताक्ष से ओर न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई

एए
 (विवेका लिख शीना R.A.S)

पीठासीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प			
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प			
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प			
4.रूपये पर प्लीडर के फीस		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
5. साक्षियों को लिए निर्वाह -व्यय		अर्जी के लिए स्टाम्प	
6. कमिश्नर की फीस		प्लीडर के फीस	
7. आदेशिका की तामिल		साक्षियों को लिए निर्वाह -व्यय	
		आदेशिका की तामिल	
		कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	